

दैनिक जागरण 11/11/18



SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Raebareli Road, Lucknow - 226014

Phones: (0522) 2668004-8, 2668700, 800, 900, Fax: 0522-2668017, 2668078

निविदा सूचना

संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान (जिस आगे संस्थान कहा गया है) रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा संस्थान के अनुपयोगी निष्प्रयोज्य घोषित किये गये वाहनों के लिए जो "जहाँ है जैसी स्थिति में है" के आधार पर फर्म/एजन्सी/निविदाकार से सिंगल बिड (Bid) पृथक-पृथक वाहन के लिए अलग-अलग निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

इस सम्बन्ध में निविदा प्रपत्र दिनांक 12.11.2018 से 28.11.2018 तक www.sgpqi.ac.in पर उपलब्ध होगा, जो बिलम्बतम दिनांक 06.12.2018 के सायं 4.00 बजे तक संस्थान में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। निविदा/भाव-पत्र दिनांक 07.12.2018 को 11.00 बजे पूर्वान्ह प्रशासनिक भवन के तृतीय तल स्थित सभाकक्ष में खोले जायेंगे।

निविदादाताओं द्वारा निविदा/भाव-पत्र के लिफाफे के ऊपर 'अनुपयोगी निष्प्रयोज्य घोषित किये गये वाहनों हेतु निविदा/भाव-पत्र' स्पष्ट शब्दों अंकित किया जायेगा।

Adv. No.: I/67/Contract/2018-19

निदेशक



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8, 2668700-800-900 Fax: 91-0522- 2668017, 2668078

निविदा सूचना

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, (जिसे आगे संस्थान कहा गया है) रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा संस्थान के अनुपयोगी निष्प्रयोज्य घोषित किये गये वाहनों के लिए जो “जहाँ है जैसी स्थिति में है” के आधार पर फर्म/एजेन्सी/निविदाकार से सिंगिल बिड (Bid) पृथक-पृथक वाहन के लिए अलग-अलग निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

इस सम्बन्ध में निविदा प्रपत्र दिनांक 12.11.2018 से 28.11.2018 तक www.sgpqi.ac.in पर उपलब्ध होगा, जो बिलम्बतम दिनांक 06.12.2018 के सायं 4.00 बजे तक संस्थान में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। निविदा/भाव-पत्र दिनांक 07.12.2018 को 11.00 बजे पूर्वान्ह प्रशासनिक भवन के तृतीय तल स्थित सभाकक्ष में खोले जायेंगे।

निविदादाताओं द्वारा निविदा/भाव-पत्र के लिफाफे के ऊपर 'अनुपयोगी निष्प्रयोज्य घोषित किये गये वाहनों हेतु निविदा/भाव-पत्र' स्पष्ट शब्दों अंकित किया जायेगा।

निदेशक

विज्ञापन सं०-आई/67/कान्ट्रैक्ट/2018-19





संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,

Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA

Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900 Fax: 91-0522- 2668017,2668078

निविदा

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, (जिसे आगे संस्थान कहा गया है) रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा संस्थान के अनुपयोगी निष्प्रयोज्य घोषित किये गये वाहनों के लिए जो “जहाँ है जैसी स्थिति में है” के आधार पर फर्म/एजेन्सी/निविदाकार से सिंगिल बिड (Bid) पृथक-पृथक वाहन के लिए अलग-अलग निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस सम्बन्ध में निविदा प्रपत्र दिनांक 12.11.2018 से 28.11.2018 तक www.sgpgi.ac.in पर उपलब्ध होगा।

निविदा/भाव पत्र संलग्नक-1 व 2 पर संलग्न प्रारूप पर प्रेषित किये जायेंगे।

Sl.no.	Vehicle Name	Vehicle Number & registration no.	Purchase year	Minimum Disposal Value Fixed for sale (Reserved Price) (Rs.)
1.	Ambassador Car	UP 32 BV 4979	AUG. 2006	45000
2.	Maruti Van	UP 32 AN7583	May 2004	22000
3.	Ambassador Car	UP 32 BC3702	JUN. 2004	42000
4.	Ambassador Car	UP 32 BC3700	JUN. 2004	42000
5.	Maruti Ambulance Van	UP 32 BN 2188	DEC.2005	27000
6.	HM RTV Ambulance	UP 32 BN 5724	AUG. 2006	50000
7.	Hearse Car	UP 32 A1788	1989	150000
8.	Ambassador Car	UP 32 BC3701	June-2004	42000
9.	Ambassador Car	UP 32 BV4929	Aug-2006	45000
10.	Ambassador Car	UP 32 CM 3156	Aug-2008	46000

निविदा-प्रपत्र का मूल्य:

निविदा से सम्बन्धित नियम/शर्तों की जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1500 + जी.एस.टी. (18%की दर से रू0 270.00) कुल मूल्य रू0 1770.00 मात्र **(Non Refundable)** होगा, जो निविदा/भाव-पत्र के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पक्ष में देय होगा, जमा करना होगा।


सीलबन्द निविदा/भाव-पत्र बिलम्बतम दिनांक 06.12.2018 के सायं 4.00 बजे तक निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, आर0एस0डी0 सेल, कक्ष संख्या-101, भूतल, प्रशासनिक भवन, लखनऊ में मात्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

निविदादाताओं द्वारा निविदा/भाव-पत्र के लिफाफे के ऊपर 'अनुपयोगी निष्प्रयोज्य घोषित किये गये वाहनों हेतु निविदा/भाव-पत्र' स्पष्ट शब्दों अंकित किया जायेगा।

सुरक्षा धनराशि (Security Deposit):

सम्बन्धित वाहन हेतु दर्शायी गयी कुल धनराशि (Quoted Value) के एक चौथाई राशि के बराबर (25% of quoted value) सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। सुरक्षा धनराशि निविदा/भाव-पत्र के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो निदेशक, संजय गाँधी

निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के निस्तारण हेतु निविदा-2018






स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पक्ष में देय होगा, निविदा/भाव-पत्र के साथ जमा करनी होगी।

सुरक्षा धनराशि का समायोजन सफल निविदाकार द्वारा क्य किये जाने वाले वाहन की कुल धनराशि (Quoted Value) में किया जायेगा, अर्थात् सफल निविदाकार को सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की गयी धनराशि को घटाकर शेष धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पक्ष में देय होगा, जमा करनी होगी। कुल धनराशि जमा करने के उपरान्त ही वाहन हस्तगत किया जायेगा।

असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गयी सुरक्षा धनराशि तीन माह में अवमुक्त कर दी जायेगी।

निदेशक





नियम एवं शर्तों/निर्देश


निविदा भेजने से पूर्व फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को पूर्णरूप से निम्न नियमों एवं शर्तों से अवगत होते हुए निविदा/भाव-पत्र प्रेषित किए जायेंगे। सीलबन्द निविदा/भाव-पत्र बिलम्बतम 06.12.2018 के सायं 4.00 बजे तक निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, आर0एस0डी0 सेल, कक्ष संख्या-101, भूतल, प्रशासनिक भवन, लखनऊ में मात्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

प्रत्येक वाहन एक अलग ईकाई है, अतः पृथक-पृथक वाहन के लिए अलग-अलग निविदा/भाव-पत्र स्वीकार होंगे।

1. वित्तीय भाव-पत्र/निविदा के साथ उपरोक्तानुसार अपेक्षित निविदा-प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा धनराशि संलग्न की जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र में निकासी हेतु दर्शाये गये वाहन को जो "जहाँ हैं जैसी स्थिति में है" स्वीकार करना होगा। जिस फर्म/एजेन्सी/निविदाकार की दर उच्चतम होगी उसका प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा तथा सम्पूर्ण आवेदित धनराशि 07 दिन के अन्दर प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थान द्वारा उसे संदर्भित वाहन को उठाने के लिए लिखित रूप में सूचित किया जायेगा। दरें समान (Tie) होने की दशा में पुनः भाव-पत्र उन्हीं फर्मों से इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न भाव पत्र के प्रारूप में उसी समय (On spot) बन्द लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगे तथा उसमें उच्चतम दर वाले का प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। इसके उपरान्त फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को उक्त वाहन 07 दिन के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा। यदि वह उक्त अवधि में वाहन नहीं उठाता/ले जाता है तो अगले 07 दिन तक रु0 250.00 प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी देनी होगी तथा उसके पश्चात् भी यदि वाहन नहीं उठाया/ले जाया जाता है तो उक्त फर्म/एजेन्सी/निविदाकार की जमा की गयी उक्त सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा वरीयता क्रम में आये दूसरी फर्म/एजेन्सी/निविदाकार (H-2 फर्म को) को उच्चतम दरवाली निविदाकार के दामों पर (H-1 फर्म की दर पर) अथवा संस्थान के निर्णयानुसार वाहन लेने के लिए दे दिया जायेगा। इसके लिए उच्चतम दर वाली फर्म/एजेन्सी/निविदाकार का (H-1 फर्म का) कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को समस्त शासकीय देय जैसे जी0एस0टी0 निर्धारित दर पर आवेदित धनराशि के अतिरिक्त यदि देय होगा तो सफल निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा तथा निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के वित्त एवं लेखा विभाग में संचालित कोष में जमा करना होगा। उसके उपरान्त ही वाहन उठाने/ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. संस्थान किसी भी फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को वाहन ले जाने हेतु मात्र गेट पास तथा सम्बन्धित वाहन के हस्तांतरण हेतु आर0टी0ओ0 कार्यालय के निर्धारित प्रारूप-पत्र को हस्ताक्षरित कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No dues) के साथ उपलब्ध करायेगा।
5. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को वाहन निकासी की अनुमति सम्पूर्ण धनराशि तथा यदि जी0एस0टी0 देय होगा तो जी0एस0टी0 सहित संस्थान के वित्त एवं लेखा विभाग में संचालित कोष में जमा करने के पश्चात् ही वाहन उठाने/ले जाने की अनुमति लिखित रूप में दी जायेगी।



6. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को निविदा (NIT)के आमंत्रण/प्रकाशन की तिथि से ही संविदा प्रकोष्ठ/वाहन अनुभाग से सम्पर्क करने के उपरान्त वाहन का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी।
7. निविदा प्रपत्र में उल्लिखित वाहनों की न्यूनतम धनराशि निर्धारित की गयी है। अतः उसी फर्म/एजेन्सी/निविदाकार का प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा जिसकी निविदा/भाव पत्र उच्चतम होगी। न्यूनतम धनराशि से कम का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। दरें समान होने की दशा (Tie) में नियम संख्या-2 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. आवेदित की गयी धनराशि को फर्म/एजेन्सी/निविदाकार द्वारा अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा/भरना अनिवार्य होगा। अन्तर होने की दशा में शब्दों में अंकित धनराशि को अन्तिम माना जायेगा।
9. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को वही वाहन ले जाने की अनुमति दी जायेगी जिसके लिए उसका आवेदन स्वीकार किया गया है।
10. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार द्वारा निविदा के साथ अपने स्थानीय पते का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड या वोटर आईडी0 कार्ड तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छाया-प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण संस्थान के निदेशक द्वारा नामित समिति की संस्तुति पर निदेशक द्वारा निर्णय किया जायेगा तथा पक्षों के असन्तुष्ट होने पर निदेशक द्वारा नामित आर्बीटेटर द्वारा संगत अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुसार विवाद का निस्तारण किया जायेगा एवं उसका निर्णय दोनों पक्ष मानने को बाध्य होंगे। आर्बीटेशन के दौरान फर्म/एजेन्सी/निविदाकार कोई वाद किसी भी माननीय न्यायालय में दायर नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में विधिक क्षेत्र, लखनऊ जनपद ही होगा तथा भारत संघ के कानून प्रभावी होंगे।
12. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को संस्थान के नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। यदि संस्थान की चल एवं अचल सम्पत्ति की किसी भी प्रकार से क्षति होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/एजेन्सी/निविदाकार का होगा एवं क्षति का आकलन कर धनराशि की वसूली उसकी जमा सुरक्षा धनराशि से कर ली जायेगी।
13. किसी भी वाहन की दरों को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को होगा।
14. निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को किसी भी वाहन की बिक्री/नीलामी अथवा उसकी प्रक्रिया को रोकने/निरस्त/निलम्बित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. मैं उपरोक्त नियमों एवं शर्तों को भली भाँति पढ़कर/समझकर तथा उससे सहमत होकर उसी आधार पर अपना निविदा/भाव पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।



निविदाकार के हस्ताक्षर
पता एवं मुहर सहित
दूरभाष/मोबाईल नं०.....

ई-मेल :



निविदाकार का विवरण

1. निविदाकार का नाम.....
2. निविदाकार के पिता का नाम.....
3. निविदाकार की आयु
4. निविदाकार का पता (स्थानीय/वर्तमान पते के प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
 - (i) मकान नं0.....
 - (ii) मोहल्ला/ग्राम/कस्बा.....
 - (iii) डाकघर.....
 - (iv) परगना/थना.....
 - (v) जिला.....
5. टेलीफोन/मोबाईल नं0.....घर.....कार्यालय.....
6. निविदाकार का व्यवसाय.....
7. आयकर टैक्स का विवरण यदि हो तो.....
8. पैन नं0..... स्व हस्ताक्षरित (छाया प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आधार कार्ड.....स्व हस्ताक्षरित (छाया प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदा/भाव-पत्र के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा सुरक्षा धनराशि के रूप में संलग्न किए जा रहे डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण:

(क) डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि
(निविदा प्रपत्र के मूल्य रू01770/-के सम्बन्ध में).....

(ख) डिमाण्ड ड्राफ्ट (निविदा प्रपत्र के मूल्य रू01770/-के सम्बन्ध में)
जारी कर्ता बैंक का नाम.....

(ग) डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि
(सुरक्षा धनराशि के सम्बन्ध में).....

(घ) डिमाण्ड ड्राफ्ट (सुरक्षा धनराशि के सम्बन्ध में) जारी कर्ता बैंक का नाम.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम.....

मोबाइल नं0.....

ई-मेल.....






चेक लिस्ट

निविदादाता भाव-पत्र/निविदा भरकर लिफाफा सील करने के पूर्व निम्न अभिलेख प्रत्येक दशा में संलग्न करना तथा अधोलिखित का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे:-

1. पृथक-पृथक वाहन के लिए अलग-अलग निविदाएं/भाव-पत्र प्रेषित किए जायेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1500 + जी.एस.टी. (18% की दर से रू0 270.00) कुल मूल्य रू0 1770.00 मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार संलग्न किया जायेगा।
3. सम्बन्धित वाहन हेतु दर्शायी गयी कुल धनराशि (Quoted Value) के एक चौथाई राशि के बराबर (25% of quoted value) सुरक्षा धनराशि के रूप में उपरोक्तानुसार जमा करनी होगी।
4. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार द्वारा निविदा के साथ अपने स्थानीय पते का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड या वोटर आईडी0 कार्ड तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छाया-प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं द्वारा निविदा/भाव-पत्र के लिफाफे के ऊपर 'अनुपयोगी निष्प्रयोज्य घोषित किये गये वाहनों हेतु निविदा/भाव-पत्र' स्पष्ट शब्दों अंकित किया जायेगा।
6. निविदाकार का विवरण संलग्नक-1 पर अंकित करते हुए संलग्न किया जायेगा।
7. निविदा/भाव-पत्र केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किए जायेंगे।




संलग्नक-2

वित्तीय भाव-पत्र

नोट: प्रत्येक वाहन एक अलग इकाई है। अतः पृथक-पृथक वाहन के लिए पृथक-पृथक निविदा/भाव-पत्र निविदाकारों/एजेन्सी/फर्मों द्वारा इसी प्रारूप में प्रस्तुत किये जायें।

क्र० सं०	वाहन का नाम	वाहन पंजीयन सं०	क्रय का वर्ष	वाहन निस्तारण हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि (रु० में)	आवेदित धनराशि अंकित करें		आवेदित धनराशि की 25 प्रतिशत राशि अंकित करें		डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या एवं बैंक का नाम
					अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में	
1.	Ambassador Car	UP 32 BV 4979	AUG. 2006	45000					
2.	Maruti Van	UP 32 AN7583	May 2004	22000					
3.	Ambassador Car	UP 32 BC3702	JUN. 2004	42000					
4.	Ambassador Car	UP 32 BC3700	JUN. 2004	42000					
5.	Maruti Ambulance Van	UP 32 BN 2188	DEC.2005	27000					
6.	HM RTV Ambulance	UP 32 BN 5724	AUG. 2006	50000					
7.	Hearse Car	UP 32 A1788	1989	150000					
8.	Ambassador Car	UP 32 BC3701	June-2004	42000					
9.	Ambassador Car	UP 32 BV4929	Aug-2006	45000					
10.	Ambassador Car	UP 32 CM 3156	Aug-2008	46000					



निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता के नाम